

SPEED POST

संख्या-13014/1/क्षे.मु.(दिल्ली)/स्था-3/आर.टी.आई. पत्रा./2019- 903
कार्यालय उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय (दिल्ली)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
पत्रालय- मदनगीर, टिगरी कैम्प, नई दिल्ली-110080

दिनांक 18 /03/2020

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

कृपया अपने पत्रांक संख्या शून्य दिनांक शून्य का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत आपके द्वारा RTI Act-2005 के तहत 39वीं वाहिनी में तैनाती के दौरान दल संख्या- 090451217 सि/जीडी स्व. मोहम्मद अकबर के विषय में किए गए कोर्सों, राफिटगं कोर्स एवं बीमा की राशि के भुगतान के विवरण उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उक्त विषय में आपको अवगत किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अनुच्छेद-24 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों, जिनके अन्तर्गत यह बल भी शामिल है, को भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के आरोपों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के शेष अनुबन्धों से मुक्त रखा गया है।

3. अतः आपके द्वारा उक्त मांगी गई वॉछित सूचना भा.ति.सी.पु.बल द्वारा, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अनुच्छेद-24 के अन्तर्गत प्रदान की जा सकने वाली सूचनाओं की मान्य श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए वॉछित सूचना आपको उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

उप महानिरीक्षक
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
क्षे.मु. (दिल्ली), भा.ति.सी.पु.बल

सेवा में

Sh. Ranu Bhalla,
Advocate, Distt Court,
Kullu (HP)- 175101

प्रतिलिपि:-

1. महानिरीक्षक, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, भा.ति.सी.पु.बल, मार्फत- 56 सेना पत्रालय।
2. आई.टी. सैल, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु.बल को आर.टी.आई. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. सेनानी, 39वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल को सूचनार्थ।

उप महानिरीक्षक (क्षेत्रीय), भा.ति.सी.पु.बल (Cell)
डाकरी No. 706
दिनांक/Date 19/3/20

उप महानिरीक्षक
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
क्षे.मु. (दिल्ली), भा.ति.सी.पु.बल